पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752–240712, 240752 website- pssou.ac.in

क्र. 993/स्था./प्रशा./2022 बिलासपुर, दिनांक : 31/03/2022

//आदेश//

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.03.2022 के प्रस्ताव क्र. 06 पर लिये गये निर्णय के अनुसार पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के परिनियम क्रमांक 09 की कंडिका 2 के प्रावधानों के तहत् बनाई गई चयन समिति की अनुशंसा को मान्य कर **वर्षा शशि नाथ पिता/पति श्री धीरेन्द्र नाथ** को आरक्षित वर्ग (अनुसुचित जनजाति) में विषय **शिक्षा (Education)** सहायक प्राध्यापक पद पर वेतनमान **रु. 15,600–39,100 + 6,000 ग्रेड पे (लेवल–10)** में पदभार ग्रहण की तिथि से अस्थायी रुप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

2/ यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी –

(1) कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) का चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

(2) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी रु. 50/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण पत्र सहित उपलब्ध कराई गई जानकारी सहीं है। यदि कोई भी अभिलेख असत्य पाया गया तो नियुक्ति रद्द की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे।

(3) यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से दो माह का नोटिस अथवा एवज में दो माह का वेतन दिया जाकर समाप्त किया जा सकेगा।

(4) नियुक्त कर्मचारी के द्वारा दो माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में दो माह का वेतन भत्ता का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त क्र. 03 के अंतर्गत देय रकम उस कर्मचारी से वसूली योग्य होगी।

(5) सेवारत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी " कार्यमुक्त प्रमाण–पत्र" प्रस्तुत करना होगा।

(6) नियुक्ति आदेश प्रसारण की तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना आनिवार्य है।

(7) शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 13 एवं परिनियम क्रमांक 09 में निर्धारित शर्तो के अनुसार नियंत्रित होगी।

(8) यह नियुक्ति स्थानांतरणीय है, अर्थात प्रशासनिक कारणों/आवश्यकता को देखते हुए कर्मचारी का स्थानांतरण विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में भी किया जा सकता है।

(9) वेतन एवं अन्य भत्ते वित्त निर्देश 21/2020, वित्त विभाग छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक 372/260/वि./नि./चार/2020 नवा रायपुर दिनांक 29.07.2020 के अनुसार देय होंगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़

क्रमशः 02

पृ.क्रमांक 994/स्था./प्रशा./2022 बिलासपुर दिनांक : 31/03/2022

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. **वर्षा शशि नाथ पिता श्री धीरेन्द्र नाथ,** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

कुलसचिव